छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

e-श्रमिक सेवा

प्रारुप "एच"
स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन पत्र
{छ.ग श्रम कल्याण निधी अधिनियम 1982 का विनियम क्रमांक 4(छ)}
{छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 6(2) का अनुकूलन कर ग्राहय किया गया}

स्थापना का प्रकार ○ कारखाना ○ गैर कारखाना
फार्म भरा जा रहा है ○ स्थापना व्दारा ○ ठेकेदार व्दारा

स्थापना का विवरण

स्थापना का नाम:-*		व्यव्साय प्रारम्भ करने की तिथी:-*	
स्थापना युनिट क्र:-*	1		
स्थापना का पता :-		जिला:- *	--Select Dist--
ग्रामीण/शहरीय:- *	--Select--	विधानसभा:- *	--Select Vidahnsabha--
ब्लॉक/नगर निकाय का नाम:-*			
पिन कोड:- *		संस्थान का पेन कार्ड:-	

स्थापना से सम्बन्ध रखने वाले परंतु स्थापना से पृथक स्थानो मे स्थित कार्यस्थल ,गोदाम अथवा अन्य कार्य स्थल ,यादि कोई हो :-

स्थापना का वर्ग	--Select--	स्थापना व्दारा किये जाने वाले कार्य का स्वरुप:-	--Select--
स्थापना वर्ग का लाईसेंस क्र.*		जारी दिनांक:-*	
मूल नियोजक की श्रमिक संख्या*	0	ठेकेदार व्दारा नियोजित श्रमिक संख्या*	0
कर्मचारियो की संख्या*	पुरुष* 0	स्त्री* 0	योग* 0
कुल श्रमिक संख्या*	0	कुल पंजीयन शुल्क*	
स्थापना का LIN क्र.			

प्रत्येक स्थापनाओ हेतु पृथक पृथक से पंजियन प्रारुप H एवं समस्त प्रारुप भरा जावे

☐ यदी संस्थान मे ठेकेदार नियोजित है तो ठेकेदारो की सूची दे

स्थापना मे नियोजक के रुप मे हित रखने वाले व्यक्तियो का विवरण

नियोजक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथी	पद	स्थाई पता	मोबाईल क्र.	ई.मेल आई.डी	आधार क्र.	हित का स्वरुप	
								भागी	जोडे

प्रबंधक का विवरण

प्रबंधक पूरा नाम*		पद/स्थिति*	
पिता का नाम*		डाक पता	
जिला*	--Select Dist--	ग्रामीण/शहरीय*	--Select--
ब्लॉक का नाम*		पिन कोड*	
आधार क्रमांक*		पेन कार्ड क्रमांक	
ई-मेल आई डी*		मोबाइल नंबर*	
दूरभाष क्र.			

☐ यदी ठेकेदार व्दारा फार्म भरा जा रहा हो तो ठेकेदार का विवरण दे

युजर आई.डी		पासवर्ड	
कंफर्म पासवर्ड		मोबाइल नंबर*	

स्थापना मे नियोजक के रुप मे हित रखने वाले व्यक्तियो का पार्टनरशिप डीड एवं मेमोरेन्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसियेशन सलंग्न करे*

Choose Files No file chosen

पंजीयन राशी भुगतान हेतु बैंक का चयन करे <--Select-->

उपरोक्त दिये गये बैंक वह बैंक है जिनमे श्रम कल्याण मंडल का खाता है ।आप अपने किसी भी बैंक जहा आपका खाता है के व्दारा उपर दिये गये मंडल के बैंक का चयन कर मंडल के खाते मे राशी जमा कर सकते है।

सुरक्षित करे | हटाये

Visiter Counter : 2049765

Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.

कार्यालय कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन,31/520,न्यू शान्ति नगर,रायपुर (छ0ग0)

ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया - 4 चरणों में

चरण :- 1 ⇨ विभागीय वेबसाइट cglabour.nic.in में जाएँ

⇩

चरण :- 2 ⇨ छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल Select करें

⇩

चरण :- 3 ⇨ स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र में जाएँ

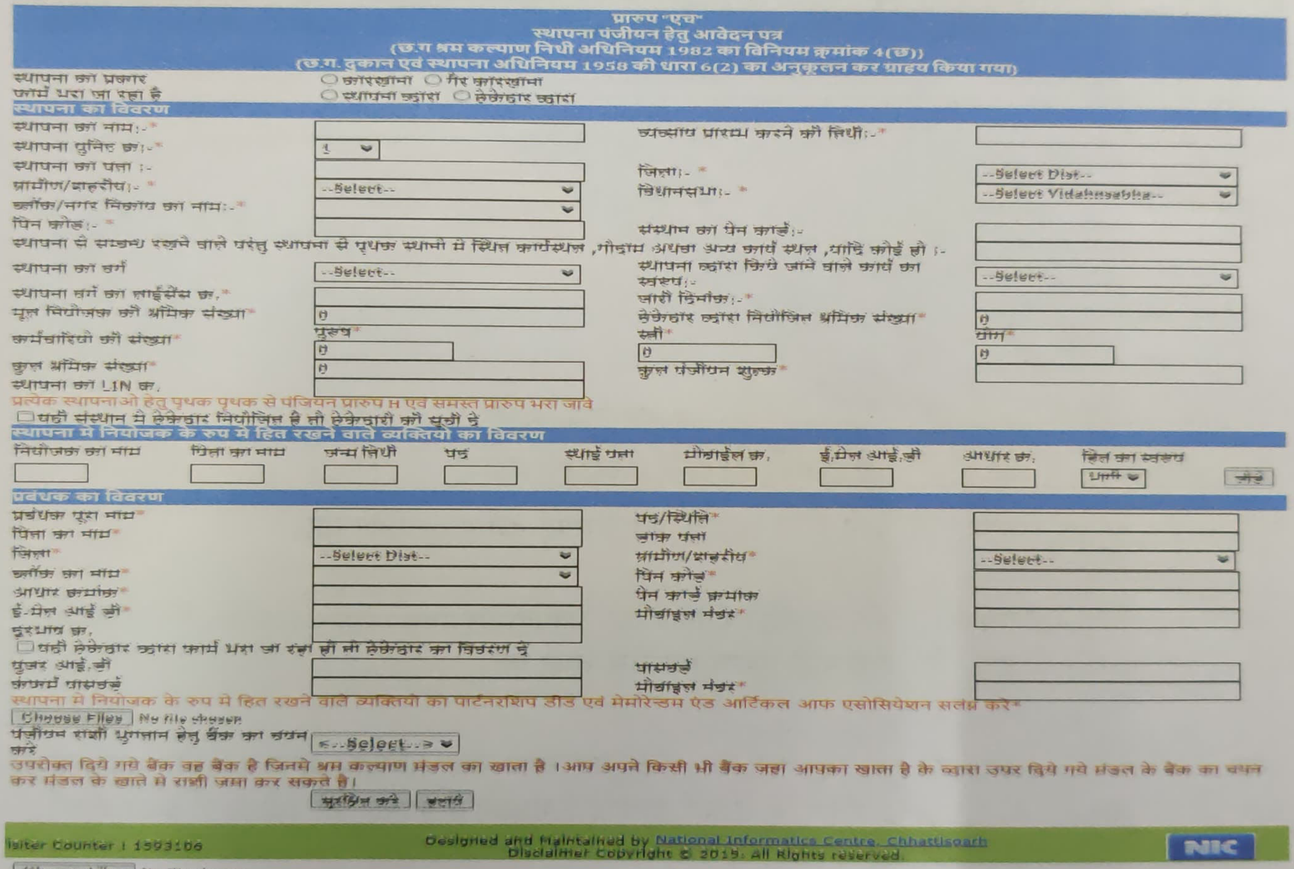

प्रारुप "एच"
स्थापना पंजीयन हेतु आवेदन पत्र
(छ.ग श्रम कल्याण निधी अधिनियम 1982 का विनियम क्रमांक 4(छ))
(छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 6(2) का अनुकूलन कर ग्राह्य किया गया)

स्थापना का प्रकार ○ कारखाना ○ गैर कारखाना
फार्म भरा जा रहा है ○ स्थापना द्वारा ○ ठेकेदार द्वारा

स्थापना का विवरण

स्थापना का नाम:-* — व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथी:-*
स्थापना युनिट क्र:-* 1
स्थापना का पता :- — जिला:-* --Select Dist--
ग्रामीण/शहरीय:-* --Select-- — विधानसभा:-* --Select Vidhansabha--
ब्लॉक/नगर निकाय का नाम:-*
पिन कोड:-* — संस्थान का पेन कार्ड:-
स्थापना से सम्बन्ध रखने वाले परंतु स्थापना से पृथक स्थानो मे स्थित कार्यस्थल ,गोदाम अथवा अन्य कार्य स्थल ,यादि कोई हो :-
स्थापना का वर्ग --Select-- — स्थापना द्वारा किये जाने वाले कार्य का स्वरुप:- --Select--
स्थापना वर्ग का लाईसेंस क्र.* — जारी दिनांक:-*
मूल नियोजक की श्रमिक संख्या* 0 — ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक संख्या* 0
कर्मचारियो की संख्या* पुरुष* 0 — स्त्री* 0 — योग* 0
कुल श्रमिक संख्या* 0 — कुल पंजीयन शुल्क*
स्थापना का LIN क्र.
प्रत्येक स्थापनाओ हेतु पृथक पृथक से पंजियन प्रारुप H एवं समस्त प्रारुप भरा जावे
☐ यदी संस्थान मे ठेकेदार नियोजित है तो ठेकेदारो की सूची दे

स्थापना मे नियोजक के रुप मे हित रखने वाले व्यक्तियो का विवरण

नियोजक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथी	पद	स्थाई पता	मोबाईल क्र.	ई.मेल आई.डी	आधार क्र.	हित का स्वरुप	
									जोड़े

प्रबंधक का विवरण

प्रबंधक पूरा नाम* — पद/स्थिति*
पिता का नाम* — स्थाई पता
जिला* --Select Dist-- — ग्रामीण/शहरीय* --Select--
ब्लॉक का नाम* — पिन कोड*
आधार क्रमांक* — पेन कार्ड क्रमांक
ई-मेल आई डी* — मोबाइल नंबर*
दूरभाष क्र.
☐ यदी ठेकेदार द्वारा फार्म भरा जा रहा हो तो ठेकेदार का विवरण दे
यूजर आई.डी — पासवर्ड
कंफर्म पासवर्ड — मोबाइल नंबर*
स्थापना मे नियोजक के रुप मे हित रखने वाले व्यक्तियो का पार्टनरशिप डीड एवं मेमोरेन्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसियेशन सलग्न करे*
Choose Files No file chosen
पंजीयन राशी भुगतान हेतु बैंक का चयन करे <--Select-->
उपरोक्त दिये गये बैंक वह बैंक है जिनमे श्रम कल्याण मंडल का खाता है ।आप अपने किसी भी बैंक जहा आपका खाता है के द्वारा उपर दिये गये मंडल के बैंक का चयन कर मंडल के खाते मे राशी जमा कर सकते है।
सुरक्षित करे | हटाये

Visiter Counter : 1593106 — Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh — Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved. — NIC

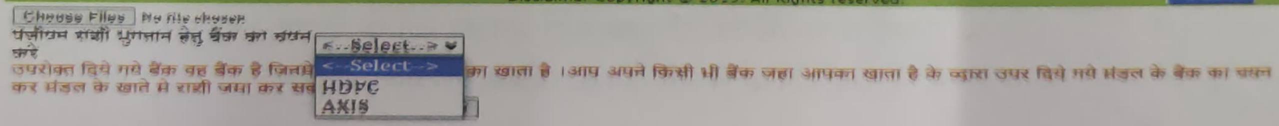

Choose Files No file chosen
पंजीयन राशी भुगतान हेतु बैंक का चयन करे <--Select-->
<--Select-->
HDFC
AXIS
उपरोक्त दिये गये बैंक वह बैंक है जिनमे ... का खाता है ।आप अपने किसी भी बैंक जहा आपका खाता है के द्वारा उपर दिये गये मंडल के बैंक का चयन कर मंडल के खाते मे राशी जमा कर स...

चरण :- 4 ⇨ उक्त प्रारूप में संपूर्ण विवरण दर्ज करने उपरांत उपरोक्त बैक भुगतान प्रणाली का चयन कर सुरक्षित करने उपरांत पोर्टल द्वारा प्रदर्शित अपने पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन भुगतान प्रणाली जैसे – इंटरनेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / कार्पोरेट बैंकिंग / यू.पी.आई. इत्यादि के माध्यम से पूर्ण कर पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेवें।

❖ चौथे चरण अंतर्गत पंजीयन भुगतान होने के उपरांत पंजीयन रसीद प्राप्त होने पर ही पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

कार्यालय कल्याण आयुक्त छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन,31/520,न्यू शान्ति नगर,रायपुर (छ0ग0)

अभिदाय राशि जमा करने की प्रक्रिया - 5 चरणों में

चरण :- 1 ⇨ विभागीय वेबसाइट cglabour.nic.in में जाएँ

⇩

चरण :- 2 ⇨ Official Login: Please Sign In Select करें

⇩

OFFICIAL LOGIN (SINGLE SIGN ON)

User Type: श्रम कल्याण मंडल

User Id: Enter UserId

Password: Enter Password

SUBMIT | CANCEL | Forgot Password

चरण :- 3 ⇨ तत्पश्चात् अपने यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।

⇩

चरण :- 4 ⇨ तत्पश्चात् अभिदाय राशि भुगतान करें अंतर्गत{क्रमश: ◉1 JAN TO 30 JUNE Year:- 2017 ○1 JULY TO 31 DEC Year:- 2017 को कर्मचारियो तथा नियोजको का} जाकर विशेष छःमाही एकल सत्र जैसे चयन करें।

⇩

चरण :- 5 ⇨ तत्पश्चात् The Pay total Amount का चयन कर अभिदाय भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यू.पी.आई. इत्यादि के माध्यम से भुगतान कर पंजीयन प्रकिया पूर्ण करें।

- पाँचवें चरण अंतर्गत अभिदाय राशि भुगतान होने के उपरांत उक्त सत्र की अभिदाय रसीद प्राप्त होने पर ही अभिदाय की प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।
- नोटः- श्रमिक/कर्मचारी का विवरण अनिवार्य रूप से इसी पेज पर दर्ज कराएं।
- श्रमिक/कर्मचारी का विवरण विभागीय वेबसाइट cglabour.nic.in में दर्ज करने पर ही उन्हे योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा।
- पासवर्ड गुम हो जाने की स्थिति में "Forgot Password" का उपयोग करें। जिससे Password Reg. Mob. No. पर प्राप्त हो जायेगा।

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला– रायपुर

---00---

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15/07/2021

क्रमांक एफ 10–5/2012/16 :: छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के विनियम क्रमांक 4 पंजीयन प्रारूप "एच" { Form 'H' } की कंडिका 9 में मंडल को देय शुल्क में परिवर्तन कर, निम्नानुसार स्थापना पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है :–

Maximum number of worker Maximum number of worker to be employed on any day during the year	**Proposed Fee Payble in Rupee**
1	3
Up to 20	3000
Up to 21 to 50	4200
Up to 51 to 100	6000
Up to 101 to 250	8200
Up to 250 to 500	11500
Up to 501 to 1000	21400
Up to 1001 to 1500	35700
Up to 1501 to 2000	40200
More then 2000	49500

2/ उपरोक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क वर्ष 2021, 2022, एवं 2023 के लिए स्वीकृत दर पर श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत नवीन एवं पूर्व स्थापनाओं पर स्वीकृत दिनांक से लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

15.07.21

(आशुतोष पाण्डेय)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन,रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक ....

क्रमांक एफ 1-66/07/16 राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-66/07/16 दिनांक 19.09.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (2)(क)(ख) में निर्धारित अभिदाय दरों में निम्नानुसार वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापना के रजिस्टर में 30 जून या 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छः माह में देय अभिदाय की रकम रूपये 1/-(एक मात्र) के स्थान पर 6/- (छः मात्र) होगी, और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छः माह में देय अभिदाय की रकम रूपये 3/- (तीन मात्र) के स्थान पर रूपये 18/- (अठारह मात्र) देय होगी।

(ख) प्रत्येक छः माह में देय नियोजक का न्यूनतम अभिदाय रूपये 150/- (एक सौ पचास मात्र) के स्थान पर रूपये 500/- (पाँच सौ मात्र) से कम नहीं होगा।

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 01.01.2008 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जब से यह यह अभिदाय वृद्धि प्रभावशील होगी। राज्य के समस्त ऐसे कारखाने एवं स्थापनाएँ जिन पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम, 1982 के समस्त उपबंध प्रभावशील हैं पर यह वृद्धि प्रभावशील होगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30.08.2007 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.सरोज)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पृ.क्र. एफ 1-66/2007/16 रायपुर, दिनांक 16-10-07

प्रतिलिपिः-

01. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़,
02. निज सचिव, माननीय श्रम मंत्री जी, छत्तीसगढ़,
03. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर
04. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
06. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, रायपुर
07. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
08. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 284/14928/बी-1/चार/2007, दिनांक 30.08.2007 के संदर्भ में
09. कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् ।

10. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशन की 40 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करने का कष्ट करें ।

15/10/07

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

57

//आदेश//
---00---

रायपुर, दिनांकः 21/03/2012

क्रमांक एफ 10–1/2011/16:– राज्य शासन एतद् द्वारा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 नियम 1984 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2011 से प्रति छः माही अर्थात जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर के लिये निम्नानुसार अभिदाय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:–

श्रमिक अभिदाय राशि रूपये	नियोजक अभिदाय राशि रूपये	न्यूनतम अभिदाय रूपये
रूपये 15/–	रूपये 45/–	रूपये 1500/–

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग में यू.ओ. कमांक 133/00002791/ब–1/चार दिनांक 02.03 2012 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.स्वस्तिक)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,
रायपुर, दिनांकः 21/03/2012

पृ0क्रमांक एफ 10–1/2011/16,

प्रतिलिपि –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0),
3. महालेखाकार, रायपुर (छ0ग0),
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ0ग0),
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर(छ0ग0),
4. अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
5. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ0ग0),
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर (छ0ग0),
8. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि इस माह के राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति इस विभाग को एवं 25 प्रति छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, 7, कैलाश रेसीडेंसी, गीतांजलि नगर, मीरादातार रोड, रायपुर, को प्रेषित करने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

7, कैलाश रेसीडेंसी, गीताजंली नगर,
मीरादातार रोड, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771–2443809, फैक्स : 0771–4045211

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, रायपुर, की अधिसूचना कमांक एफ 10–01/2011/16 दिनांक 21.03.2012 द्वारा अभिदाय में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982, की धारा 9 की उपधारा (2) (क) (ख) में निर्धारित अभिदाय दरो में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :–

(क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापना के रजिस्टर में 30 जून या 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छःमाह में देय अभिदाय की रकम रूपये 6/– (छः मात्र) के स्थान पर रूपये 15/– (पन्द्रह मात्र) होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिए नियोजक द्वारा प्रत्येक छःमाह में देय अभिदाय की रकम रूपये 18/– (अठ्ठारह मात्र) के स्थान पर रूपये 45/– (पैतालिस मात्र) देय होगी।

(ख) प्रत्येक छःमाह में देय नियोजक का न्यूनतम अभिदाय रूपये 500/– (पांच सौ मात्र) के स्थान पर रूपये 1500/– (पन्द्राह सौ मात्र) से कम नही होगा।

श्रमिक अभिदाय राशि रूपये	नियोजक अभिदाय राशि रूपये	न्यूनतम अभिदाय राशि रूपये
रूपये 15/–	रूपये 45/–	रूपये 1500/–

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.01.2011 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जब से यह अभिदाय वृद्धि प्रभावशील होगी। राज्य के समस्त ऐसे कारखाने एवं स्थापनाऍ जिन पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के समस्त उपबंध प्रभावशील है पर यह वृद्धि प्रभावशील होगी।

अतः नियोजक एवं नियुक्त से अपील है की वे उपरोक्तानुसार अभिदाय राशि जमा करावें।

(राजेश श्रीवास्तव)
कल्याण आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त
श्रम विभाग, रायपुर